

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञापित संख्या: पीआरपीबी-बी(लि0सं0)/2025, दिनांक: दिसम्बर 20, 2025

यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट
<https://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारिणी देखें।

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं
पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2025

1.1- उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं
पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) पुरुष एवं महिला के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए
अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान	अधियाचित पद
1	पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) समूह-ग	पे बैण्ड-9300-34800 व ग्रेड पे 4200 लेवल-6, 35400-112400	112
2	पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) समूह-ग	पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे 2800 लेवल-5, 29200-92300	311
3	पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) समूह-ग	पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे 2800 लेवल-5, 29200-92300	114
	कुल योग		537

इन पदों के श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैं:-

(क) पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय)

क्र०सं०	श्रेणी	संख्या
1	अनारक्षित	49
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	29
4	अनुसूचित जाति	23
5	अनुसूचित जनजाति	01
	योग	112

(ख) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)

क्र०सं०	श्रेणी	संख्या
1	अनारक्षित	128
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	30
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	83
4	अनुसूचित जाति	64
5	अनुसूचित जनजाति	06
योग		311

(ग) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)

क्र०सं०	श्रेणी	संख्या
1	अनारक्षित	50
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	30
4	अनुसूचित जाति	23
5	अनुसूचित जनजाति	01
योग		114

1.2 उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।

1.3 परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

2. आवेदन की समय सारिणी—

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	20-12-2025	19-01-2026
2	आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि	20-12-2025	19-01-2026
3	जमा किये गये शुल्क के समायोजन की तिथि	20-12-2025	22-01-2026

2.1 अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर (One Time Registration) कराना अनिवार्य होगा।

2.2 सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न होने पाये। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से सम्बन्धित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम/स्तर पर प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे।

2.3 आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा:-

- 1-सामान्य/ई0डब्ल्यू0एस0/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु रु0-500/-
- 2-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु रु0-400/-

3 अर्हताये:-

3.1-राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, र्घोभार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।

3.2-शैक्षिक अर्हता:-

(1)- पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) पद के लिए

- (क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता,
- (ख)- कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर यूनीकोड में) तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण,
- (ग)- न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख। (उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा।)
- (घ)- भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डायक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में "ओ" लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण

करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) पद के लिए

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता,
- (ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर यूनीकोड में) तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण,
- (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में "ओ" लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है।

(3) पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) पद के लिए

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता,
- (ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर यूनीकोड में),
- (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट सोसाइटी) (पूर्व में डोयक सोसाइटी) से कम्प्यूटर में "ओ" लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है।

टिप्पणी:-

- (1) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
- (2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) डोएक (DOEACC) नीलिट (NIELIT) से 'ओ' लेवल की समकक्षता निर्धारण शासनादेश, दिनांक 05 मई 2022 (परिशिष्ट-1) के अनुसार किया जायेगा।

3.3 अधिमानी अर्हतायें:-

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान (Preference) दिया जायेगा, जिसने:-

- (1) डोएक (DOEACC)/नीलिट (NIELIT) सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर अप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो,
- (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो,



- (3)–प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो,
(4)–राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

3.4 आयु:–

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–

- (1) अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 01 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो।

परन्तु यह कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी शक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र भी नहीं होंगे।

3.6--वैवाहिक प्रास्थिति--

ऐसा/ऐसी व्यक्ति:–

- (क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या
(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

3.7--शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।



4-भर्ती की प्रक्रिया-

यह चयन "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संलग्न सेवा नियमावली-2015" (यथासंशोधित) के अधीन किया जायेगा।

4.1 ऑफलाइन लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे उनसे 400 अंकों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में, निम्नलिखित चार विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:-

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान	50	100 अंक
2	सामान्य जानकारी/सामयिक विषय	50	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	50	100 अंक
4	मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	50	100 अंक

टिप्पणी:-

- 1- प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक/प्रसामान्यीकृत(Normalized) अंक और कुल 40 प्रतिशत अंक/प्रसामान्यीकृत(Normalized) अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 2- यह लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 3- बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा।
- 4- प्रश्न-पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (परिशिष्ट-2) में संलग्न है।
- 5- लिखित परीक्षा का समय 02 घंटा 30 मिनट (150 मिनट) होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-200 होगी।
- 6- लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा, जो प्रश्न का सही उत्तर हो।
- 3- ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग (Scanning) के लिये प्रयुक्त होगी, द्वितीय प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा तृतीय

प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

- 4- लिखित परीक्षा का प्रवेश-पत्र यथा-समय बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- 5- लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 6- लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015" (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMALIZATION) की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में बोर्ड की सूचना/ विज्ञप्ति संख्या :पीआरपीबी-एक-1-(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 7- उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस विज्ञप्ति में शब्द "अंक" आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत "अंक" होगा।
- 8- परन्तु यह भी कि भर्ती बोर्ड समस्त विषयों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अन्तिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर ही की जायेगी।
- 9- अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ही उत्तर के रूप में अंकित करें।
- 10- प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा।
- 11- लिखित परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिसपर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसके सभी उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 2669(एमबी)/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा:-

सूत्र- सही उत्तर X उस भाग के निर्धारित अंक
सही प्रश्नों की संख्या

यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाये जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किये जायेंगे किन्तु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे।



4.2 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।

(क) अभिलेखों की संवीक्षा:--(DOCUMENT VERIFICATION)

- I. अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी (लम्बवत/क्षैतिज) के दावों की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जायेगी।
- II. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।
- III. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- IV. संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण-पत्र यदि निर्धारित योग्यता/मानक/श्रीयमावली/शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा और तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- V. संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटस्थित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।

(ख) शारीरिक मानक परीक्षण:-- (PHYSICAL STANDARD TEST-PST)

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:--

(एक) ऊँचाई:

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और

अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:—न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई:

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

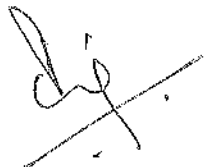
(दो) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

- 1) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।
- 2) यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असन्तुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात् उसी दिन वही आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षणदल द्वारा पुनः कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
- 3) पूर्व की भर्तियों में मापी गयी ऊँचाई व सीना की माप इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। इस भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस भर्ती में मान्य होगी।
- 4) किसी भी सरकारी/प्राइवेट संस्था से करायी गयी माप इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। इस भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस भर्ती में मान्य होगी।

4.3— कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।



टिप्पणी:-

- (1) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा की तिथि व समय की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय अधिसूचित की जायेगी।
- (2) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

4.4 चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची:-

- (अ) ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक/प्रसामान्यीकृत (Normalized) अंकों के श्रेष्ठताक्रम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर, प्रत्येक पद के लिए आरक्षण नीति के दृष्टिगत, रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जायेगी और उसे चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को संस्तुति सहित प्रेषित की जायेगी।
- (ब) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

टिप्पणी:-

यदि दो या दो से अधिक समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ज्येष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

- (i) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी, जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखता हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
- (ii) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान किया जाएगा।
- (iii) यदि उल्लिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4.5 चिकित्सा परीक्षा

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल व 'पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र' के अनुसार की जायेगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।



4.6 चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी शक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

5-आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट

5.1 "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015" (यथासंशोधित) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व आयु सीमा में छूट

- I. लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा।
- II. कार्मिक विभाग के शारानादेश संख्या-39-रिट/का-2/2019, दिनांक 26-06-2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार महिलाओं का आरक्षण अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहे वे भारत वर्ष के किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश से सम्बन्धित हों को विचार में लिया जायेगा।
- III. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुरार किया जायेगा।
- IV. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 दिनांक 31-08-2020 के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अन्तर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोत (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1- 20-1(क)-4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण (E.W.S.) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा E.W.S. श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत व दिनांक 01.04.2025 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य E.W.S. प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- V. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

(क) लम्बवत् (Vertical) आरक्षण

क्र० सं०	श्रेणी	प्रति शत	सुसंगत अधिनियम/ शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार
2	अनुसूचित जनजाति	02	उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	शासनादेश सं० 3/192019/4/1/2002/का-2-19टी०सी०-11,14.03.2019	—	EWS प्रमाण पत्र प्रारूप-3 व 3A	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

क्र० सं०	समूह	प्रति शत	सुसंगत अधिनियम/ शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	—	DFP का प्रमाण पत्र प्रारूप-4	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	3 वर्ष*	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	सक्षम सैन्य अधिकारी/ यूनिट प्रभारी

3	महिला	20	शासनादेश सं० 18(1)/95--का-2/99 दिनांकित 26-02-99, शा०सं०-18/1/99-का-2/2006 दिनांक 09-01-2007 यथासंशोधित कार्मिक अनुपाग के शा०सं०-39-रिट/का-2/2019 दिनांक 26-06-2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहें वे भारत वर्ष के किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश से सम्बन्धित हो, को विचार में लिया जायेगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।			
---	-------	----	---	--	--	--

टिप्पणी-

*भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या:2-ई-एम/2001(1)-का-4-2013 दिनांक 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-5 के अनुसार के अनुरूप निर्गत होना चाहिये।

(घ) शासन के पत्र संख्या-17/6-पु०-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय सेवक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकतम छूट 05 वर्ष ही अनुमन्य होगी।



5.2 विभिन्न आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा/तिथि

क्र० सं०	आरक्षित श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का विवरण	प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि	
			किस तिथि से	किस तिथि तक
1	अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-III-क-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुरूप होना चाहिए)	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	---	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक
2	अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-III-क-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुरूप होना चाहिए)	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	---	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-III-क-2/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुरूप होना चाहिए)	वित्तीय वर्ष -2025-2026 का प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	1/4/25	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक
4	ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग का प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञाप-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 14 मार्च, 2019	वित्तीय वर्ष -2024-2025 का प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	1/4/25	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक
5	राज्य कर्मचारी के लिए अनुगम्य प्रमाण पत्र प्रारूप-5 के अनुरूप होना चाहिए	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवश्य निर्गत होना चाहिए	---	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक
6	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	---	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक
7	मूल निवास प्रमाण पत्र	प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परन्तु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए	---	आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक



5.3—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित:—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

- I. जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या
- II. जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए गिरफ्तार हुआ हो, या
- III. जिसमें कम से कम दस बँतों का दण्ड भोगा हो, या
- IV. जो गोली से घायल हुआ हो, या
- V. जिसे फरार घोषित किया गया हो, या
- VI. जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या
- VII. जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या
- VIII. जो इण्डिया इण्डिपेण्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या
- IX. जिसे गांधी—इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसी व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी माँगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

5.4— भूतपूर्व सैनिक:—

“भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योद्धा या अनायोद्धा के रूप में सेवा की हो और जो—

- I. अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या
- II. चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या
- III. जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या
- IV. विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टैरिटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:—

- (1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
- (2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
- (3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

टिप्पणी:—

- 1) आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।

नोट:—अभ्यर्थी के आवेदन की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है।

- 2) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।
- 3) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- 4) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।
- 5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार कीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-2) 01 अप्रैल, 2025 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए।
- 6) उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप-3, 3A उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप-4, तथा आयु में छूट चाहने वाले राज्यधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-5 परिशिष्ट-3 पर है।

आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- 7) महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्षैतिज आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 8) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 9) लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।
- 10) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 11) यदि लम्बवत् (Vertical) आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा-आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।
- 12) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
- 13) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जायेगा।

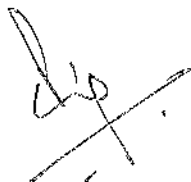


6-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- 6.1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना ओटीओआर0 पर पंजीकरण करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरान्त ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे।
- 6.2 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। तत्पश्चात ही वह अभ्यर्थी UPPRPB (उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड) द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन पत्र को भर पायेगा।
- 6.3 परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जनहित में अभ्यर्थी की पहचान आदि के सत्यापन हेतु आधार आधारित ओटीओपी0 (Authentication) प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया के आवेदन से लेकर विभिन्न चरणों में किसी भी असुविधा से बचने हेतु सभी अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड डेटा एवं उसमें पंजीकृत मोबाइल नम्बर अवश्य अपडेट करा लें। अपडेट कराने सम्बन्धी सूचना <https://uppbpb.gov.in> पर प्राप्ता की जा सकती है।
- 6.4 सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
- 6.5 OTR (One Time Registration) में पंजीकरण
- I. अभ्यर्थियों हेतु OTR में पंजीकरण हेतु सभी चरण अनिवार्य हैं।
 - II. सर्वप्रथम अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in/> Home/Notice पर जाकर "आवेदन हेतु Link" पर क्लिक करें।
 - III. आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम बार में अपना OTR पंजीकरण करना आवश्यक है।
 - IV. प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण होना आवश्यक है:-
 - Unique Email Id
 - Unique Mobile NumberOTR हेतु प्रयुक्त Email Id एवं Mobile Number अपरिवर्तनीय होंगे।
 - V. सत्यापन हेतु-Digi-Locker Account
 - VI. सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा।
 - VII. पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा एवं Captcha के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा।

6.6 भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन

एक बार पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर, अपने पंजीकरण विवरण (login ID & credentials) से लॉगिन कर "उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2025" हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी लॉगिन निम्न माध्यम से कर सकता है:-



- a. Account ID/Password अथवा
 - b. आधार अथवा
 - c. DigiLocker
 - I. अभ्यर्थी नियमावली/विज्ञप्ति का अध्ययन करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को भरें।
 - II. अभ्यर्थी यदि अपूर्ण/दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त आवेदन पत्र भरते हैं तो उस दशा में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
 - III. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं उन्हें "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - IV. आवेदन पत्र भरने के उपरान्त अभ्यर्थी को भुगतान करना होगा।
 - V. पेमेंट के उपरान्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि भरे हुये आवेदन पत्र का एक बार अवलोकन अवश्य कर लें। (अर्थात् आवेदन को अन्तिम रूप से जमा करने हेतु "Preview" अवश्य कर लें एवं उसकी एक प्रति प्रिन्ट कर लें, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को सुविधा होगी)।
- Note- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक बार का पंजीकरण एवं आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (अंतिम आवेदन पत्र की स्वीकार होगा)

6.7 फोटोग्राफ

- I आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की Real time (लाइव) फोटोग्राफ ली जायेगी

Real time फोटोग्राफ की शर्तें—

- a. Real time फोटोग्राफ हेतु web camera/ अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान Real time फोटोग्राफ ले सके।
- b. Real time फोटोग्राफ अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहन कर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं होगी।
- c. Real time फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए (अर्थात् मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए)
- d. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आँखों पर चश्मा धारण किया जाता है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि Real time फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिम्ब/रेशमी न पड़े अर्थात् अभ्यर्थी की आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- e. Real time फोटोग्राफ ब्लर (धुंधली) नहीं होनी चाहिए।
- f. Real time फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए।
- g. Real time फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। (धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा)
- h. लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- i. यदि अभ्यर्थी की Real time फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा।
- j. यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है तथा किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है तो उसे आवेदन पत्र में निर्धारित स्वघोषणा पत्र भरना होगा।



6.8 हस्ताक्षर

- I आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा।
हस्ताक्षर अपलोड करने की शर्तें—

- 1 आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से 50mm x 20mm आकार के बॉक्स के अन्दर हस्ताक्षर करना होगा।
- 2 हस्ताक्षर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं।
- 3 हस्ताक्षर की छवि JPG/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए।
- 4 हस्ताक्षर का आकार 50mm x 20mm या 140 x 60 पिक्सल होना चाहिए।
- 5 फाइल का साइज 30KB से 50KB के बीच होना चाहिए।
- 6 हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं।

टिप्पणी

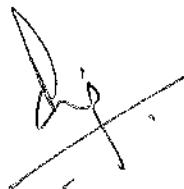
- (i)—आवेदन पत्र में भरे गये विवरण सही हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट (Submit) करें और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त, अगर कोई व्यय/शुल्क है, तो उसे भी अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- (ii)—ऑनलाइन आवेदन शुल्क के सफलता पूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते ही Submit हो जायेगा। यदि अभ्यर्थी अन्तिम रूप से Submit नहीं करता है तो अन्तिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः Submit हो जायेगा।
- (iii)— शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

6.9 शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग (DigiLocker) के माध्यम से अपलोड करना

- I अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक, आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी मूल निवास सम्बन्धी तथा अन्य सभी प्रमाण-पत्र, जो कि डीजी लॉकर (DigiLocker) पर उपलब्ध हो, उन्हें डीजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से ही अपलोड करें।
- II जो प्रमाण पत्र डीजी लॉकर (DigiLocker) पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें।

6.10— आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः—

- I अभ्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाये। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अन्तिम सबमिट (Submit) किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा।



- III अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।
- III ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास यथा लागू समस्त अपेक्षित शैक्षिक अर्हता, अधिमान्ती अर्हता, आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र होने आवश्यक हैं। अभ्यर्थियों को उक्त अभिलेख/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- IV अपलोड किये गये अभिलेखों/प्रमाण पत्र के सापेक्ष ही संवीक्षा की कार्यवाही की जायेगी। अपलोड किये गये अभिलेखों/प्रमाण पत्र के इतर अन्य अभिलेखों/प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- V आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात कोई प्रमाण पत्र/अभिलेख स्वीकार नहीं होगा।
- VI आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा किये जाने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर पायेंगे।

7- भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश-

- I विज्ञापित पदों पर की जा रही इस भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- II परीक्षा के समस्त चरणों में छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) नियंत्रण हेतु अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक के दौरान PHOTO, FINGER PRINT/IRIS लिया जायेगा एवं आधार आधारित e-KYC की जायेगी।
- III छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) करने, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने, बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्रधिकारी का होगा।
- IV किसी अनाचार अथवा परीक्षा के सम्बन्ध में अनुचित साधनों का प्रयोग या उसमें लिप्त होने पर उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसमें परीक्षा का परिणाम रोकने और उस कैलेंडर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कैलेंडर वर्ष के लिए सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित करने का भी प्रावधान है तथा ऐसे कृत्यों में सम्मिलित होने के लिए जिनमें इस अधिनियम में अन्य दण्ड का प्रावधान है नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी प्रचलित की जायेगी।
- V यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। और यदि चयनोपरान्त प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- VI बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और उसके द्वारा आवेदन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर



स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

- VII. बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट को देखते रहें।
- VIII. बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उसे तभी आवेदन करना चाहिए जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- IX. इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक् से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।
- X. यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 व अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अधिनियमों/शासनादेशों के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- XI. अभ्यर्थियों को डीवी/पीएसटी के अतिरिक्त परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी दशा में निर्धारित परीक्षा तिथि के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। डीवी/पीएसटी में परीक्षा के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

8-हेल्प लाइन

आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हेल्प लाइन नम्बर-18009110005 जारी किया जा रहा है, जो आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक (प्रातः 10:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) क्रियाशील रहेगा।

9-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, वचन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

अपरा सचिव (भर्ती)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ

संख्या-08/2022/247-सा-2-2022/02एलसी/2022

प्रेषण,

श्री(0) देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समाप्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समाप्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समाप्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 05 मई, 2022

विषय-कम्प्यूटर कोर्स 'ओ' लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय आप संख्या-47-2099/299/2020, दिनांक 18-01-2022 द्वारा 'ओ' लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनोद, विशेष सचिव, आईटीओ एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीईस्को, उ०प्र० शासन एवं श्री श्रीहरि प्रताप शर्मा, विशेष सचिव, कार्मिक विभाग उ०प्र० शासन द्वारा 'ओ' लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश/मुद्राव के अध्ययन के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा 'ओ' लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है:-

- (1)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई०/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से कम से कम 01 वर्ष की अवधि का 'O' Level पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।
- (2)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई०/NIELIT (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था से 10+2 के उपरान्त कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो:-

1	DOAP	Diploma In Office Automation & Publishing
2	DOMA	Diploma In Office Management Application
3	ADC	Advance Diploma In Computer
4	ADCA	Advance Diploma In Computer Applications

1- यह शासनादेश एलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स दिया गया है, अतः इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की एमप्लिकेशन के साइट www.upsc.gov.in में सत्यापित की जा सकती है।

5	ADCH	Advance Diploma In Computer Hardware
6	ADCP	Advance Diploma In Computer Programming
7	DCA	Diploma In Computer Applications
8	DCFA	Diploma In Computerised Financial Accounting
9	DCS	Diploma In Computer Skills
10	DCTT	Diploma In Computer Teacher Training
11	DIP	Diploma In Programming
12	DISA	Diploma In Information System Audit
13	DISM	Diploma In Software Management
14	DIT	Diploma In Information Technology
15	DST	Diploma In Software Technology
16	DTP	Diploma In Desktop- Publishing (DTP)
17	MDCA	Master Diploma In Computer Application
18	MDCISM	Master Diploma In Computer Information & System Management
19	MDIT	Master Diploma In Information Technology
20	MOMSP	Diploma In Modern Office Management and Secretarial Practice
21	CI&SN	Continuous Integration & System Networking Course
22	ADCST	Advance Diploma In Computer Software Technology
23	ADHN	Advance Diploma In Hardware & Networking
24	ADI	Advance Diploma In Information Technology
25	ADP	Automated Data Processing Course
26	ADSE	Advance Diploma In Software Engineering
27	AITT	All India Trade Tests
28	PGDCWD	Post Graduate Diploma In Computer Web Designing

(3)- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/यूजीओसी/एनआईटी/डीआईटी/आईआईटी/मिेलिट (DOEACC) से मान्यता प्राप्त राकसो/निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उभयान्त की जाने वाले कम से कम 01 वर्ष की अवधि का PGDCA/DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

1- यह गोपनीय इलेक्ट्रॉनिकी जरी किया गया है, अतः इस पर कृपया ध्यान की आवश्यकता नहीं है।

2- इस मान्यता की पुष्टि के लिए वेब साइट www.doeacc.org को सत्यापित की जा सकती है।

- (4)- UG/DESGO से उत्तीर्ण 01 वर्ष का DIT (डिप्लोमा इन इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।
- (5)- स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर अप्लीकेशन रहा हो।
- (6)- B.Sc./IT, MCA /B.Tech/ प लेवल/पी लेवल/ सी लेवल के कम्प्यूटर कोर्स, BCA, M.Sc. cyber law and security, B.Etc में कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में ।
- (7)- केन्द्रशासित सरकार के किसी बौद्धिक/विश्वविद्यालय/यूजीओसी/टीआईसी/डीआईटी/एनआईटी (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था में हाईस्कूल के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष की अवधि का कम्प्यूटर में Diploma कार्यक्रम उत्तीर्ण हो।
- (8)- केन्द्रशासित सरकार के किसी बौद्धिक/विश्वविद्यालय/यूजीओसी/टीआईसी/डीआईटी/एनआईटी (DOEACC) से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कम्प्यूटर शिक्षा मिशन से कम्प्यूटर में कम से कम 01 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।
- (9)- ITI से 52 सप्ताह का computer operator and programming assistance COPA कोर्स उत्तीर्ण हो।
- (10)- केन्द्रशासित सरकार के किसी बौद्धिक/विश्वविद्यालय/यूजीओसी/टीआईसी/डीआईटी/एनआईटी (DOEACC) से मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी संस्था में तीन वर्षीय Diploma in computer engineering information technology/electronics engineering उत्तीर्ण हो।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्प्यूटर कोर्स "ओ" लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही अनिवार्य कराने का कष्ट करें।

यह शासनादेश अतिशय में विज्ञापित होने वाले संसद पर लागू होगा।

भवदीय.

ज्ञा० दंडेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-08/2022(1)/247-क-2-2022/02एलसी/2022 तददिनांक।

प्रतिनिध निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अक्षर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अक्षर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मा. मुख्यमंत्री जी।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार जनरल, सी० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. सचिव, राज्यस्य परिषद्, उत्तर प्रदेश।

1- यहू शास्त्रादेश प्रत्येकानिवासी जहाँ किया गया है, अतः इस पर तत्तत्काल की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न २३. आसाम में कौन से प्रांतों के साथ सीमा है ?

परिशिष्ट-1

7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्रमिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के सभसत्त अनुभाव।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विजय कुमार संखवार
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह आसनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस आसनदेश की प्रमाणित्य वेब साईट <http://hrd.uupsc.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम
उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा का
पाठ्यक्रम

क्र०सं०	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक
2	सामान्य जानकारी सामयिक विषयक	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अभिरुचि परीक्षा/तार्किक परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा	100 अंक

1-सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान (General Hindi/Computer Knowledge)

क-सामान्य हिन्दी (General Hindi)

1-हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें, 2-हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान- हिन्दी वर्णमाला, तद्धव-तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, विराम-चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोत्तियाँ, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3-अपठित बोध, 4-प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, 5-हिन्दी भाषा में पुरस्कार, 6-विविध।

ख-कम्प्यूटर ज्ञान (Computer Knowledge)

1. Basic computer fundamentals.
2. History and future of computers.
3. Algorithm, Flowchart & number system.
4. Operating system and basics of windows.
5. Computer Abbreviation.
6. Microsoft office.
7. Basic knowledge of Internet use.
8. Shortcut keys.
9. Computer communication and Internet.
10. Programming language.
11. Application of net technology.
12. Web design.
13. Basic Software and hardware and their functionalities.
14. Networking.
15. Www and web browsers.
16. IT tools and business system.
17. Introduction to multimedia.

18. Emerging Technologies-Artificial intelligence, mobile computing, green computing, Banking & e-commerce application etc.

2- सामान्य जागरूकता/सामयिक विषय (General Awareness/Current Affairs)

क- सामान्य जागरूकता (General Awareness)

सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध।

ख- सामयिक विषय (Current Affairs)

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, सिन्धु जल समझौता, ओलम्पिक, वस्तु एवं सेवाकर, पुरस्कार और सम्मान, देश/राजधानी/मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन, इण्टरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट।

3- संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (Numerical and Mental Ability Test)

क-संख्यात्मक योग्यता परीक्षा-(Numerical Ability Test)

Number System-संख्या पद्धति, Simplification- सरलीकरण, Decimals and Fraction- दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple-महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion-अनुपात और समानुपात, Percentage-प्रतिशतता, Profit and Loss-लाभ और हानि, Discount-छूट, Simple interest-साधारण ब्याज, Compound interest-चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership-भागीदारी, Average-औसत, Time and Work-समय और कार्य, Time and Distance-समय और दूरी, Use of Tables and Graphs-सारणी और ग्राफ का प्रयोग, Menstruation-मेन्सुरेशन, Arithmetical computations and other analytical functions-अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, Miscellaneous-विविध।

ख- मानसिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test)

Logical Diagrams-तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation-संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test-शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test-व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क, Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना।

4-मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (Mental Aptitude Test/I.Q. Test/ Reasoning)

क-मानसिक अभिरुचि परीक्षा (Mental Aptitude Test)

Attitude towards the following-निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण:- Public Interest-जनहित, Law and order-कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony-साम्प्रदायिक सद्भाव, Crime Control-अपराध नियंत्रण, Rule of law-विधि का शासन, Ability of Adaptability-अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level)-व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की), Police System-पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order-समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, Interest in Profession-व्यवसाय के प्रति रुचि, Mental toughness-मानसिक दृढ़ता, Sensitivity towards minorities and underprivileged-अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, Gender sensitivity-लैंगिक संवेदनशीलता।

ख-बुद्धिलब्धि परीक्षा (I.Q. Test)

Relationship and Analogy Test-सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण, Spotting out the dissimilar-असमान को चिन्हित करना, Series Completion Test-श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test-संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Blood Relation-रक्त सम्बन्ध, Problem based on alphabet-वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence Test-समय-क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test-वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, Mathematical ability Test-गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order-क्रम में व्यवस्थित करना।

ग-तार्किक परीक्षा (Reasoning)

Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय, Decision making-निर्णायक क्षमता, Visual memory-दृश्य स्मृति Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation-पर्यवेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series-अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान
 (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित
 जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप
 में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार
 उत्तर प्रदेश के.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

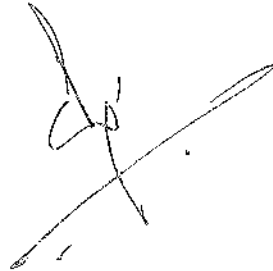
दिनांक.....

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/
 परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार



प्रारूप-2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के
 लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम 1994
 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित
 किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य
 पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित
 नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ
 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित
 छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा
 उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....
 जिला.....में सामान्यतः रहता है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
 दिनांक..... पूरा नाम.....
 पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार



प्रारूप-3आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र/स्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बापोस्ट
 ऑफिस.....थाना.....ब्लाक.....
तहसील.....जिला.....
राज्य.....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण

पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु0 (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती है।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

- I. 05(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- V. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

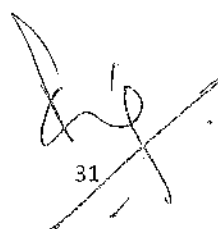
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

तथा पूरा नाम

स्थान :-.....

दिनांक :-.....



प्रारूप-3A

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति
प्रमाण- पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष.....के लिये मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
.....ग्राम/कस्बा.....पोस्ट
ऑफिस.....थाना.....तहसील.....
.....जिला.....राज्य.....

.....पिन कोड..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष..... में इनके परिवार की
कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में
निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 05(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का
आवासीय भूखण्ड
- V. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी

.....जाति.....के सदस्य हैं, जो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का
पासपोर्ट साईज.
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....

कार्यालय का मुहर सहित

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार



प्रारूप-4

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/3/1982-कार्मिक-2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक
के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और
श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपर्युक्त अधिनियम 1993
के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के
आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी



प्रारूप-5

राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....राज्य सरकार के
कर्मचारी है जो वेतनमात्र.....में.....के पद
पर.....विभाग/ कार्यालय में दिनांक.....से नियमित
आधार पर सेवारत हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)

नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

